फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर

–प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स गायत्री मिंनट्रेड प्रा.लि., जरिये निदेशक श्री भरत कुमार बागवान
   पता – सपराव का गुडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
2. श्री भरत कुमार बागवान पुत्र श्री किशन लाल
   पता – 267, जवाहर नगर, तहसील आमेट, चारभुजा रोड, जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती मंजु देवी बागवान पत्नी श्री भरत कुमार बागवान
   पता – 267, जवाहर नगर, तहसील आमेट, चारभुजा रोड, जिला राजसमन्द।
4. मैसर्स अमृत मार्बल ग्रेनाइट प्रा.लि., जरिये निदेशक श्री भरत कुमार बागवान
   पता – बनडा आमेट, केलवा रोड, आमेट, जिला राजसमन्द।

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 39 / 2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 09.11.2021 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 02.09.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने 1,10,00,000 / – अक्षरे एक करोड दस लाख रुपए की ऋण सुविधा दिनांक 31.08.2021 को उपलब्ध कराया था व अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण के ऐवज में बंधक विलेख को निष्पादित कर अचल सम्पत्तियों :– (1) औधोगिक प्लाट (आराजी नम्बर 703 / 25) जो ग्राम– सपराव का गुडा, पटवार सर्किल आईडाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द में स्थित हैं, जिसका कुल क्षैत्रफल 0.8600 हैक्टयर है, जो कि मैसर्स गायत्री मिनट्रेड प्रा. लि. के नाम है, (2) सम्पत्ति जो जवाहर नगर, ग्राम आमेट, तहसील आमेट, चारभुजा रोड, जिला राजसमन्द में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 3160.00 वर्गफीट है, जो कि श्री भरत कुमार बागवान पुत्र श्री किशन लाल के नाम है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था। अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रद्वत ऋण अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार नही चुकाया परिणामस्वरूप उक्त ऋण खाता दिनांक 17.03.2021 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया व अप्रार्थीगण के ऋण खातों में रूपये 99,03,329 / – दिनांक 07.05.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाते में बकाया ऋण राशि को अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार भुगतान ना करने पर एन0पी0ए0 वर्गीकृत होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

09.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये, तथा उक्त नोटिस की तामिल बैंक को प्राप्त नही होने के कारण उक्त मांग नोटिस का प्रकाशन नियमानुसार दो समाचार पत्र हिन्दी में दैनिक नवज्योति व अंग्रेजी में दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 23.06.2021 को किया गया था। परन्तु उक्त मांग नोटिस प्राप्ति व प्रकाशन के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा न तो सम्पूर्ण बकाया ऋण राशी जमा करवायी गयी व न ही बंधकशुदा सम्पत्तियों का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। अप्रार्थीगण को उपरोक्त नोटिस के अनुसार नोटिस की दिनांक से 60 दिवस के अन्दर बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि रूपये 99,03,329/- दिनांक 07.05.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त का भुगतान करना था परन्तु अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नही की है परिणामस्वरूप बैंक को बकाया ऋण की वसूली करने के लिए बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेना आवश्यक हो गया हैं। बैंक के पास बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :- (1) औधोगिक प्लाट (आराजी नम्बर 703/25) जो ग्राम- सपराव का गुडा, पटवार सर्किल आईडाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द में स्थित हैं, जिसका कुल क्षैत्रफल 0.8600 हैक्टयर है, जो कि मैसर्स गायत्री मिनट्रेड प्रा.लि. के नाम है, जिसकी चतुसीमाए :- पूर्व में :- आमेट केलवा रोड, पश्चिम :- सरकारी जमीन, उत्तर :- श्रीनाथ मार्बल - गायत्री मार्बल, दक्षिण : अमृत मार्बल एण्ड ग्रेनाइट प्रा.लि.। (2) सम्पत्ति जो जवाहर नगर, ग्राम आमेट, तहसील आमेट, चारभुजा रोड, जिला राजसमन्द में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 3160.00 वर्गफीट है, जो कि श्री भरत कुमार बागवान पुत्र श्री किशन लाल के नाम है जिसकी चतुसीमाए :- पूर्व में :- रास्ता, पश्चिम :- प्लाट श्री हस्तीमल जी सांखला एण्ड भरत जी बागवान का मकान, उत्तर :- मुख्य रोड, दक्षिण : मकान श्री सुवालाल जी जैन।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 09.05.2021 को जारी किया गया था। तथा उक्त नोटिस की तामिल बैंक को प्राप्त नही होने के कारण उक्त मांग नोटिस का प्रकाशन नियमानुसार दो समाचार पत्र हिन्दी में दैनिक नवज्योति व अंग्रेजी में दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 23.06.2021 को किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :- (1) औधोगिक प्लाट (आराजी नम्बर 703/25) जो ग्राम- सपराव का गुडा, पटवार सर्किल आईडाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द में स्थित हैं, जिसका कुल क्षैत्रफल 0.8600 हैक्टयर है, जो कि मैसर्स गायत्री मिनट्रेड प्रा.लि. के नाम है, जिसकी चतुसीमाए :- पूर्व

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

में :– आमेट केलवा रोड, पश्चिम :– सरकारी जमीन, उत्तर :– श्रीनाथ मार्बल – गायत्री मार्बल, दक्षिण : अमृत मार्बल एण्ड ग्रेनाइट प्रा.लि.। (2) सम्पत्ति जो जवाहर नगर, ग्राम आमेट, तहसील आमेट, चारभुजा रोड, जिला राजसमन्द में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 3160.00 वर्गफीट है, जो कि श्री भरत कुमार बागवान पुत्र श्री किशन लाल के नाम है जिसकी चतुसीमाए :– पूर्व में :– रास्ता, पश्चिम :– प्लाट श्री हस्तीमल जी सांखला एण्ड भरत जी बागवान का मकान, उत्तर :– मुख्य रोड, दक्षिण : मकान श्री सुवालाल जी जैन।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)